अनुस्मारक-प्रथम
द्वारा ईमेल/फैक्स
समयबद्ध/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचम तल, टावर-2, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002
HQRS. DIRECTOR GENERAL OF POLICE, UP.
Floor-5, Tower-2, Police Headquarter. shaheed path. Gomti Nagar Extension. Lucknow-226002

पत्र संख्याःडीजी-1-पीआर-6-93/2025 दिनांकःफरवरी28,2025

सेवा में,

भारतीय पुलिस सेवा के समस्त अधिकारीगण (नाम से),
उत्तर प्रदेश संवर्ग।

विषयः- अखिल भारतीय सेवायें (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली-2007 के अनुसार आईपीएस अधिकारियो के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः07-01-2025(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आलोच्य वर्ष 2024-25 की कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने का निर्देश निर्गत किया गया था।

2- भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः17011/3/2003-IPS.II दिनांकः25-11-2008 में उल्लिखित निर्देशानुसार 01 अक्टूबर से 31 मार्च के मध्य वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के निर्देश है।

3- अतः आलोच्य वर्ष 2024-25 की कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि 31 मार्च 2025 की प्रतीक्षा किये बिना वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

28/2

(शलभ माथुर)
पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक,
उ0प्र0, लखनऊ।

(1)

द्वारा ईमेल/फैक्स

समयबद्ध/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचम तल, टावर-2, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

HQRS. DIRECTOR GENERAL OF POLICE, UP.

Floor-3, Tower-2, Police Headquarter. shaheed path. Gomti Nagar Extension. Lucknow-226002

पत्र संख्याःडीजी-1-पीआर-6-93/2025 दिनांकःजनवरी 07,2025

सेवा में,

भारतीय पुलिस सेवा के समस्त अधिकारीगण (नाम से),
उत्तर प्रदेश संवर्ग।

विषयः- अखिल भारतीय सेवायें (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली-2007 के अनुसार आईपीएस अधिकारियो के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः17011/3/2003-IPS.II दिनांकः25-11-2008 में उल्लिखित निर्देशानुसार 01 अक्टूबर से 31 मार्च के मध्य वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के निर्देश है।

2- उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-808 डीजी/छःपु0से0-2-09-507(4)/07 दिनांकः15-06-2009 व कार्यालय ज्ञाप/संशोधन सं0-जीआई 564/छःपु0से0-2-13-507(4)/07 दिनांकः 11-10-2013 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत आप द्वारा वर्ष 2024-25 की कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना है। उपरोक्त निर्दिष्ट पत्रों एवं वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारुप की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित है।

3- आलोच्य वर्ष 2024-25 की कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि 31 मार्च 2025 की प्रतीक्षा किये बिना वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

(एन0 रविन्दर)
अपर पुलिस महानिदेशक, जीएसओ/कार्मिक,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

PRO FORMA FOR ANNUAL HEALTH CHECK UP OF INDIAN POLICE SERVICE (IPS)OFFICERS

Name - Age - Sex - M/F

(A) (i) Examinations

1.	General Physical Examination (i) Height (ii) Weight (iii) Chest Expansion (iv) BMI (v) Brief Clinical history. if any
2.	Systemic Examination (i) Respiratory System (ii) CVS (iii) Abdomen (iv) CNS (v) Locomotor System (vi) Dental Examination
3.	Eye Examination (i) Distant Vision (ii) Vision with Glasses (iii) Colour Vision (iv) Tonometry (v) Fundus Examination
4.	ENT (I)Hearing (ii) Oral Cavity (iii) Nose (iv) Throat (v) Larynx
5.	(i) Urological Examination (for men only) (ii) Rectal Examination (for men only)
6.	Gynecological Health Check Up (i)Pelvic Examination (a) Local Examination (b) Per Vaginum (P/V) (c) Per Speculum (ii) Surgical Examination (iii) Breast Examination

(II) Investigations

1.	Haemogram (i) Haemoglobin (ii) TLC (iii) DLC (a) Polymorphs (b) Lymphocytes (c) Eosinophils (d) Basophils (e) Monocytes (iv) Peripheral Smear
2.	Urine Examination (i) Colour (ii) Albumin (iii)Sugar (iv) Microscopic Examination
3.	Blood Sugar (i) Fasting (ii) Post- Prandial .
4.	Lipid Profile (i) Total Cholesterol (ii) HDL Cholesterol (iii) LDL Cholesterol . (iv) VLDt.Cholesterol (v) Triglycerides
5.	Liver Function Test (i) S. Bilirubin (total) (ii) S. Bilirubin (direct) (iii) S.G.O.T. (iv) S.G.P.T
6.	Kidney Function Test (i) Blood Urea (ii) S. Creatinine (iii) S. Uric Acid
7.	Cardiac Profile (I) S.LDH (ii) CK-MB (iii) S.CRP (iv) SGOT **For Men** (v) PSA **For Women** (vi) PAP SMEAR

8.	X-Ray-Chest PA View Report
9.	ECG Report
10.	USG Abdomen Report
11.	TMT Report
12.	Mammography Report (Women)

B. MEDICAL REPORT OF THE OFFICER

1.	Haemoglobin level of the officer	Normal/Low
2.	Blood Sugar Level Satisfactory	Normal/High/Low
3.	Cholesterol level of the officer	Normai/High/Low
4.	Liver Functioning Satisfactort	Ncrmal/Dysfunctioning
5.	Kidney Status	Normal/ Both/ one kidney not functional optimally
6.	Cardiac Status Normal	Enlarged/Blocked/Notnormal

C. SUMMARY OF MEDICAL REPORT (only copy of this part is to be attached to PAR)

1.	Overall health of the officer	
2.	Any other remarks based on the health medical check up of the office	
3.	Health Profile Grading	

Date :

Signature of Medical Authority
Designation

25/11/08

BY SPEED POST

No.17011/3/2003-IPS.II
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

North Block, New Delhi-1
Dated, the 23 November 2008.

To

The Chief Secretaries and DGPs of State Governments
(as per standard list)

Subject: All India Service (Performance Appraisal Report) Rules, 2007 – Proforma for annual health check-up of IPS Officers - Reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 6..5.2008 whereby the All India Service Rules (Performance Appraisal Report) Second Amendment Rules, 2008 for IPS Officers notified by Department of Personnel and Training was intimated. Regular annual medical check-up is mandatory for all IPS Officers, as prescribed in the aforesaid rules. The proforma for health check-up of IPS officers as finalised in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, is enclosed. **(Annexure).** The medical format is also available on the official website of Ministry of Home Affairs at: ***http://mha.nic.in*** for information and guidance.

2. It is requested that the above may be brought to the notice of each IPS Officer serving under the respective State Government/Union Territory. Necessary action may be taken for authorizing Government/ Private hospitals for undergoing annual health check-up by the IPS officers and the charges for the same will be borne by the respective State Government/Union Territory.

3. The annual medical examination by IPS officers will be undertaken during the second half of the reporting period i.e. from 1st October to 31st March.

Yours faithfully,

(K. Natarajan)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele No. (011) 23093551

Encl: As above.

Copy to: UT (Services) Section, Min. of Home Affairs - for information and necessary action.

DSP(M)

3/12/08

12975

997
11/10/13

D-4-1-39(3)13

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-जीआई 564/छ:पु0से0-2-13-507(4)/07
लखनऊ: दिनांक: 11 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिये वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु फार्म संख्या-IV में उल्लिखित समस्त परीक्षणों हेतु रू0 2,000/--की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या--239/छ:पु0से0-2-13-507(4)/07, दिनांक 27.01.09 द्वारा प्रसारित किये गये थे।

2- चिकित्सा एंव परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या-ए- 17020/04/12-एमएस, दिनांक 08.07.13 की प्रति प्रेषित करते हुये गृह मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र संख्या-17011/3/2013-आईपीएस-II, दिनांक 29.07.13 द्वारा संशोधित प्रारूप प्रेषित करते हुये पुरूष आईपीएस अधिकारियों के लिये अधिकतम रूपया 2000/-तथा महिला आईपीएस अधिकारियों के लिये अधिकतम रूपया 2200/- की प्रतिपूर्ति किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

3- भारत सरकार के आदेश दिनांक 29.07.13 के कम में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा के पुरूष अधिकारियों के लिये समस्त परीक्षणों हेतु अधिकतम रू0 2000/- तथा महिला अधिकारियों के लिये रू0 2,000/- के स्थान पर अधिकतम रू0 2200/- (रूपये दो हजार दो सौ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने के लिये सहमत हैं।

4- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.01.09 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एंव पढ़ा जाय। कार्यालय ज्ञाप की अन्य शर्ते एंव तत्थ यथावत् रहेगें।

5- यह आदेश चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 25.09.13 को प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

IG (K)
15/10/2013
14162

सर्वेश चन्द्र मिश्र
सचिव।

संख्या-जीआई-564(1)/छ:पु0से0-2-13, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0,लखनऊ को भारत सरकार गृह मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 29.07.13 की छाया प्रति सलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कृपया समस्त आईपीएस अधिकारियों को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0
(4) स्थानिक आयुक्त,उ0प्र0, नई दिल्ली।
(5) अनुसचिव, भारत सराकार, गृह मंत्रालय,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली।
(6) चिकित्सा अनुभाग--6/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
(7) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल

Se. I
15/10
15.10.13

AC VI/V
15/10/13

(कमल किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।